

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषय:- एन०टी०पी०सी० रिहन्दनगर बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद-सोनभद्र के रेनकूट वन प्रभाग के अंतर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हेठो आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-२२१७ / ११-सी-FP/UP/The/36097/2018, दिनांक 30.12.2022 एवं आपका पत्रांक-३०९६ / मी०क्ष० / ३३, दिनांक 19.03.2023

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित की गयी कमियों का निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.03.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया:-

1. ऑनलाइन भाग-२ के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लीज अवधि प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर सही लीज अवधि प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-२ में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. ऑनलाइन भाग-२ के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-२ में यथास्थान पर अपलोड करें।
3. ऑनलाइन भाग-२ के क्रमांक-१३(iv) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हेठो क्षेत्रफल की SoI टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है।
4. ऑनलाइन भाग-२ के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-२ में यथास्थान पर अपलोड करें।
5. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष 832 हेठो अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जिसमें वृक्षारोपण हेतु धनराशि रु० 11,24,61,440/- का उल्लेख है तथा यह धनराशि भाग-२ में भी अपलोड की गयी है, किन्तु आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA हेतु धनराशि रु० 11,26,01,425/- अवशेष जमा की जाने वाली धनराशि के रूप में बताया गया है। प्रस्ताव में संलग्न प्राक्कलन एवं ऑनलाइन भाग-२ में अपलोड की गयी धनराशि से यह धनराशि भिन्न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में CA हेतु कितनी धनराशि जमा की जानी होगी। अतः प्राक्कलन में स्पष्ट उल्लेख करते हुये सही प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-२ में धनराशि सहित अपलोड करें।
6. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष 832 हेठो अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जबकि आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र में 561 हेठो अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु पूर्व में धनराशि रु० 3,77,07,615/- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किये जाने का उल्लेख है। इस संबंध में प्रस्ताव में यह स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि 561 हेठो अवनत वनभूमि में से कितने हेठो अवनत वनभूमि पर वनीकरण कार्य कराया जा चुका है एवं इस हेतु कितनी धनराशि व्यय हुई है तथा कितने अवनत वनभूमि पर अभी वनीकरण कार्य कराया जाना अवशेष है एवं इस हेतु कितनी धनराशि अभी कैम्पा मद में जमा है? प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट उल्लेख करें कि वनीकरण हेतु अवशेष अवनत वनभूमि को क्या 832 हेठो अवनत वनभूमि में समिलित किया गया है अथवा नहीं?
7. प्रकरण का प्रारम्भ से लेकर अब तक का बिन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की एक पी०ड००५० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- ३१७९ / ११-सी-FP/UP/The/36097/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनकूट वन प्रभाग, रेनकूट।
2. उप महाप्रबन्धक (मा०सं०), एन०टी०पी०सी० रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर, जिला-सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।